

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ

रोजगार सूचना सं. पी-एचक्यू/आरआरसी/761/2019-20

मुख्यालय, कार्मिक विभाग, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, आर. टी. एस. कालोनी, बिलासपुर (छ.ग.) 495004

HEADQUARTER, PERSONNEL DEPARTMENT, RAILWAY RECRUITMENT CELL, R.T.S. COLONY, BILASPUR (C.G.) 495004

सांस्कृतिक कोटा के अंतर्गत भर्ती

जारी करने की तिथि: 14.12.2019

अंतिम तिथि: 13.01.2020 को 23:59 बजे तक

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में वर्ष 2019-20 के लिये निम्नलिखित पदों में सांस्कृतिक कोटा के तहत ग्रुप 'सी' कैटेगरी में 2 (दो) पदों की भर्ती के लिये ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं जिसे पे (लेवल 2, 7th सी पी सी) पर भर्ती किया जाना है:-

1. पदों/प्रभागों का विवरण-

क्र. सं.	प्रभाग (Discipline)	पद की संख्या	आवश्यक सांस्कृतिक योग्यता
01.	अवनद्ध (थाप) वाद्य	01	सरकारी/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थानों से संबंधित अवनद्ध (थाप) वाद्य प्रभागों में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र धारक।
02	तंत्री वाद्य	01	सरकारी/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थानों से संबंधित तंत्री वाद्य प्रभागों में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र धारक।

2. शैक्षणिक योग्यताएं -

किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं (+2) अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। (कुल 50 प्रतिशत अंकों का निम्नतम प्रतिशत अजा/अजजा/भूतपूर्व सैनिक के उम्मीदवारों के लिए तथा उच्च शिक्षा यथा स्नातक, स्नातकोत्तर हेतु बाध्य नहीं है) (या) कोर्स कम्प्लीटेड एक्ट एप्रेटिसशिप/आई टी आई पास (एनसीवीटी /एससीवीटी द्वारा अनुमोदित ट्रेड में)।

[इंजीनियरिंग में डिप्लोमा सहित कोई भी अन्य योग्यता को विकल्प के रूप में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।]

3. आयु सीमाएं-

उम्मीदवारों को 01.01.2020 को 18 वर्ष की आयु में होना चाहिये तथा 30 वर्ष पूर्ण नहीं किया होना चाहिये। अधिकतम आयु सीमा में शिथिलता अपि वर्ग के उम्मीदवारों के लिये 03 वर्ष तक तथा अजा/अजजा वर्ग के उम्मीदवारों के लिये 05 वर्ष तक है।

लेवल-2 (7th सी पी सी) / के पदों के लिए आयु सीमा:

उम्र समूह	न्यूनतम उम्र	ऊपरी उम्र		
18-30 वर्ष	01.01.2002	अनारक्षित	अपिव	अजा/अजजा
	सभी वर्गों के लिए	02.01.1990	02.01.1987	02.01.1985

5/2/2019

3.1 आयु शिथिलता का विस्तार:

ए.	सेवारत रेलवे कर्मचारी, जिन्होंने लगातार तीन वर्षों की सेवा की हो तथा एवजी कर्मचारी जो रेलवे में लगातार तीन वर्षों की सेवा अथवा तीन वर्षों की खंडित सेवा की हो	अनारक्षित - 40 वर्ष अपिव - 43 वर्ष अजा/अजजा - 45 वर्ष
बी.	विधवा/तलाक शुदा महिलाएं तथा कानूनी रूप से पृथक महिला जो पुनर्विवाह न किया हो	अनारक्षित - 35 वर्ष अपिव - 38 वर्ष अजा/अजजा - 40 वर्ष
सी	ऐसे व्यक्ति जो 01 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 तक की अवधि के दौरान जम्मू तथा कश्मीर राज्य के कश्मीर डिविजन में सामान्य रूप से निवास किये हों	05 (पांच) वर्ष तक।
डी.	रेलवे प्रतिष्ठानों के क्वाशी (quasi) प्रशासनिक कार्यालयों के कर्मचारी	5 वर्ष तक (अथवा) ऐसी प्रतिष्ठानों में उनके स्टाफ द्वारा प्रदान की गई सेवा, जो भी कम हो, आयु में शिथिलता दिये जायेंगे।
ई.	भूतपूर्व सैनिक	सुरक्षा सेवाओं में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा तक धन 3 वर्ष तक आयु में शिथिलता दिये जायेंगे, बशर्ते कि उन्हें इस आशय का प्रमाण देना होगा कि अभिप्रमाणन के बाद निम्नतम 06 महीने की सेवाएं दी है तथा पुनःसेवा के लिये 40 वर्ष की उम्र तक सरकारी सेवा में कर्मचारी नहीं है।
एफ.	निःशक्त व्यक्ति (40 % या उससे अधिक)	अनारक्षित - 40 वर्ष अपिव - 43 वर्ष अजा/अजजा - 45 वर्ष

- नोट (i) विशिष्ट कोटि तथा पदस्थापना के स्थान पर निर्णय दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे प्रशासन द्वारा, चयनित उम्मीदवार के नियुक्ति के प्रस्ताव के समय लिया जावेगा।
- (ii) अधिसूचित पद के समुदाय के ब्रेकअप पर निर्णय नियुक्ति के प्रस्ताव के समय, चयनित उम्मीदवारों के समुदाय (वर्ग) के आधार पर लिया जायेगा। तदनुसार, सभी वर्गों (अनारक्षित, अपिव, अजा/अजजा) के योग्य उम्मीदवार अधिसूचित पदों के लिये आवेदन कर सकते हैं।
- (iii) अजा/अजजा समुदाय के उम्मीदवार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे जो कम से कम तहसीलदार या समकक्ष अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। जाति प्रमाण पत्र को स्कैन कर अपलोड करे।
- (iv) अपिव समुदाय के उम्मीदवारों को इस अधिसूचना के अनुलग्नक- ए में दिए गए प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अपिव के उम्मीदवारों को अनुलग्नक- 'बी' में दिए गए प्रारूप में नॉन-क्रीमी लेयर स्टेटस का स्व-घोषणा पत्र भी संलग्न करना होगा। अपिव समुदाय के उम्मीदवार अपिव प्रमाण पत्र एवं नॉन-क्रीमी लेयर स्टेटस का स्व-घोषणा पत्र को स्कैन कर अपलोड करे। तथा उसकी मूल प्रति दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करे।
- (v) सेवारत रेल कर्मचारी एवं अर्द्धशासकीय रेल संगठन के कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी : नियोक्ता से प्राप्त "अनापत्ति प्रमाण पत्र" एवं "बोनाफाइड प्रमाण पत्र", जिसमें नियमित सेवा अवधि को दर्शाया गया हो, दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करे, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।
- (vi) तलाकशुदा/कानूनी रूप से अपने पति से अलग महिला : तलाकशुदा होने/कानूनन अपने पति से अलग हो जाने के संबंध में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री की प्रति एवं तब से अब तक

पुनर्विवाह न किए जाने के संबंध में शपथ पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करे, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

(vii) विधवा : अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पुनर्विवाह न किए जाने के संबंध में शपथ पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करे, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

(viii) भूतपूर्व सैनिक: डिस्चार्ज प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करे, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

(ix) निःशक्त व्यक्ति: सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी 'विकलांगता प्रमाण पत्र', जिसे केंद्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत बनाए गए मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो और उस बोर्ड में कम-से-कम तीन सदस्य रहे हों एवं उनमें से एक सदस्य भारीरिक/मानसिक/दृ य/श्रवण विकलांगता, जो भी स्थिति हो, के विशेषज्ञ हों, दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करे, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

(x) आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग का अर्थ है ऐसे उम्मीदवार जिनकी वार्षिक परिवारिक आय ₹ 50,000/- से कम हो। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग की पहचान के उद्देश्य के लिये निम्नलिखित अधिकारी आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिये अधिकृत है:-

1. जिला दण्डाधिकारी या अन्य कोई राजस्व अधिकारी जो कि तहसीलदार के समकक्ष हो।
2. ऐसे व्यक्ति के लिये, उनके स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र के लोकसभा के संसद का मौजूदा सदस्य।
3. केन्द्रीय मंत्री भी देभा के किसी भी हिस्से से किसी भी व्यक्ति के लिये सिफारिश कर सकते हैं।
4. राज्य सभा संसद के मौजूदा सदस्य, उस जिले के व्यक्ति के लिये जहां सांसद सामान्य रूप से रहते हैं।

नोट- केन्द्रीय शासन द्वारा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी बीपीएल कार्ड या कोई अन्य प्रमाण पत्र या रेलवे द्वारा जारी किया गया इज्जत एमएसटी भी मान्य है।

आर्थिक रूप से पिछड़े उम्मीदवार आय प्रमाण पत्र का प्रारूप जैसा कि अनुलग्नक-'सी' में है स्कैन कर अपलोड करें।

xi) जो उम्मीदवार अल्पसंख्यक समुदाय के हैं (मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिक्ख, बौध, जोरोस्ट्रियन्स (पारसी), अल्पसंख्यक समुदाय का घोषणापत्र अनुलग्नक 'डी' के प्रारूप में जमा करे।

4. वांछनीय -

- (i) संबंधित क्षेत्र में अनुभव तथा ऑल इंडिया रेडियो/दूरदर्शन आदि में दिये गये कार्यक्रम।
- (ii) राष्ट्रीय स्तर पर जीता हुआ पुरस्कार।

5. चयन का तरीका -

1. चयन प्रक्रिया निम्नानुसार है : उम्मीदवार जो इस नोटिफिकेशन के विरुद्ध आवेदन देते हैं एवं योग्य पाये जाते हैं।

ए	लिखित परीक्षा (नोट: लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्प प्रश्न सामान्य ज्ञान, अंकगणित तथा सांस्कृतिक संबंधित होंगे)	50 अंक
बी	निम्न के आधार पर संबंधित क्षेत्र में प्रतिभा कानिर्धारण : (i) व्यवहारिक प्रदर्शन अवनद्ध (थाप) वाद्य एवं तंत्री वाद्य में प्रभाग के लिए अभिनय होंगे। (ii) प्रमाण पत्र/पुरस्कार आदि (संबंधित प्रभाग में)	35 अंक 15 अंक
कुल		100 अंक

(नोट : जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में पास होते हैं, (अहर्ता प्राप्त अंक : अना. 40%, अपिव/अजा : 30%, अजजा : 25%) उन्हीं अभ्यर्थियों को संबंधित क्षेत्र में व्यवहारिक प्रदर्शन हेतु बुलाया जाएगा)। 100 अंकों पर प्राप्तांक के अनुसार पैनल मेरिट के आधार पर बनाया जाएगा ।

- II. नियुक्ति के लिये सिफारिश किये गये उम्मीदवारों को, पदों के लिये निर्धारित मानकों के अनुरूप आवश्यक मेडिकल फिटनेस उत्तीर्ण करना होगा जिसे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे प्रशासन द्वारा चिन्हित किया जायेगा ।
- III. लिखित परीक्षा के लिए पात्र उम्मीदवारों को बुलावा पत्र से संबंधित जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी जायेगी। लिखित परीक्षा तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। पात्र उम्मीदवारों की सूची तथा अपडेट्स को दपूम रेलवे के वेबसाइट www.secr.indianrailways.gov.in में दर्शाये जायेंगे ।

6. वेतनमान: (लेवल 2, 7th सी पी सी)

7. आवेदन कैसे करें –

ऑनलाइन आवेदन करने के पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी जेपीईजी (JPEG) प्रारूप में अपने साथ तैयार रखें।

- (ए) पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ (25 से 75 केवी)
 - (बी) स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर ।
 - (सी) आयु, शैक्षणिक योग्यता, जाति (अजा/अजजा/अपिव) और सांस्कृतिक योग्यता अवनद्ध (थाप) वाद्य एवं तंत्री वाद्य के समर्थन में प्रस्तुत प्रमाण पत्रों की सभी प्रतिलिपि स्वअभिप्रमाणित होनी चाहिए।
 - (डी) अपिव प्रमाण पत्र अनुलग्नक –‘ए’ के प्रारूप एवं अपिव स्व-घोषणा पत्र अनुलग्नक –‘बी’ के प्रारूप में होनी चाहिए।
- i) दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के वेबसाइट को देखें: www.secr.indianrailways.gov.in → Recruitment → RRC Bilaspur.
 - ii) “नोटिफिकेशन फॉर सांस्कृतिक कोटा 2019-20” लिंक पर क्लिक करें।
 - iii) “न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक” पर क्लिक करें।
 - iv) व्यक्तिगत जानकारी हेतु आवेदक अपना मोबाईल नंबर एवं ईमेल आईडी प्रदान करें। (कृपया अपना व्यक्तिगत मोबाईल नंबर एवं ईमेल आईडी प्रदान करें। भर्ती से संबंधित सभी जानकारी रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर एवं ईमेल आईडी पर प्रदान की जायेगी।)
 - v) आवेदन सबमिट होने पर रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर एवं ईमेल आईडी पर एसएमएस प्राप्त होगी।
 - vi) अपने रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर एवं ईमेल आईडी का इनबॉक्स ओपन करें तथा रजिस्ट्रेशन नंबर एवं पासवर्ड को नोट करें।
 - vii) ईमेल / एसएमएस से प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर तथा पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें।
 - viii) निर्देश का अनुपालन करें तथा चरणबद्ध तरीके से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें।
 - ix) फोटो, हस्ताक्षर, आपेक्षित प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि जैसा कि ऊपर (ए से डी) तक बताया गया है, स्कैन कर अपलोड करें।
 - x) आवेदन सबमिट करें। आवेदन की दो प्रतियाँ प्रिंट कर अपने पास रखें।

{ रजिस्ट्रेशन नंबर एवं पासवर्ड को अपने पास सुरक्षित रखें। अगले चरण में इसकी आवश्यकता होगी जैसे लिखित परीक्षा का बुलावा पत्र डाउनलोड करने, दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलावा पत्र डाउनलोड करने, इत्यादि। हस्ताक्षर रनिंग हस्तलिपि में होना चाहिए और अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में नहीं होना चाहिए। }

उम्मीदवारों को निर्देश दिया जाता है कि निम्नलिखित का वर्णन करें :

- i) ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन में ग्रेड 'ए' और ग्रेड 'बी' कलाकार / स्कॉलशिप के रूप में भाग लिया हो ।
- ii) अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता / वर्कशॉप में भाग लिया हो ।
- iii) राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता / वर्कशॉप में भाग लिया हो ।
- iv) राज्य स्तरीय प्रतियोगिता / सेमिनार / वर्कशॉप में भाग लिया हो ।
- v) जिला स्तरीय प्रतियोगिता / वर्कशॉप में भाग लिया हो ।

कार्यक्रम का व्योरा, लेबल, तिथि, स्थान, प्रमाणपत्र संख्या और जारी करने वाले अधिकारी के बारे में वर्णन होना चाहिए। सिर्फ वर्णित प्रमाणपत्रों की ही स्कूटिनी, दस्तावेज सत्यापन के समय की जाएगी ।

8. अमान्य आवेदन

आवेदन में निम्नलिखित में से किसी भी तरह की कमियाँ / खामियाँ या अनियमितता होने से संक्षिप्त रूप से अमान्य कर दिया जायेगा :

- i) अनुचित तरीके से स्कैन किया हुआ फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर वाला आवेदन ।
- ii) आवेदन उचित प्रमाण पत्रों के बिना यथा जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, सांस्कृतिक योग्यता, जाति (अजा/अजजा /अपिव एवं स्व-घोषणा पत्र) । प्रमाण पत्र वर्णित प्रारूप में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त करें।

{ उम्मीदवार के पास अधिसूचना की तिथि को अपेक्षित शैक्षणिक/ सांस्कृतिक योग्यता होनी चाहिए। }

- iii) एक ही उम्मीदवार के एक से अधिक आवेदन ।
- iv) अन्य कोई अनियमितता जो समझा जाए।

9. महत्वपूर्ण निर्देश:

9.1 उम्मीदवार आयु सीमा में छूट लेना चाहते हैं, उन्हें अपेक्षित जाति प्रमाण पत्र वर्णित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ जमा करें तथा अपलोड करें अन्यथा उनका आरक्षण स्थिति का दावा पर विचार नहीं किया जायेगा और ऐसे उम्मीदवारों को अनारक्षित माना जायेगा बशर्ते वे अनारक्षित उम्मीदवार की पात्रता पूरी करते हैं।

9.2 उम्मीदवारों द्वारा गलत घोषणा/विवरण देने की स्थिति में भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

9.3 चयन प्रक्रिया के मामलों में रेलवे का निर्णय अंतिम होगा ।

9.4 हिन्दी अधिसूचना में किसी तरह का शंका या संदेह की स्थिति में अंग्रेजी अधिसूचना सही माना जाएगा।

9.5 उम्मीदवारों को निर्देशित किया जाता है कि रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ / बिलासपुर का वेबसाइट देखें :

www.secr.indianrailways.gov.in → Recruitment → RRC Bilaspur.

(10) परीक्षा शुल्क: (i) नीचे उप-कण्डिका (ii) में वर्णित को छोड़कर सभी उम्मीदवारों के लिये: ₹ 500/- (रुपये पांच सौ मात्र)।

(ii) एससी/एसटी समुदायों के उम्मीदवारों महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक, अल्पसंख्यकों (मुस्लिम, इसाई, सिक्ख, बौद्ध तथा पारसी) विकलांग व्यक्तियों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिये: ₹ 250/- (रूपये दो सौ पचास मात्र) वापसी योग्य, जो वास्तव में लिखित परीक्षा में उपस्थित होते हैं।

11. **किसे आवेदन करे:** (लेवल 2, 7th सी पी सी) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जाये।

12. **संलग्नक :** उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करते समय प्राप्त निर्देशानुसार दस्तावेज की प्रतिलिपियाँ स्कैन कर अपलोड करे।

13. **सामान्य शर्त:** चयन के संबंध में रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ का निर्णय अंतिम होगा। जिन उम्मीदवारों का चयन नहीं हुआ, उनसे पत्र व्यवहार पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी भी रूप में सिफारिश से उम्मीदवार अयोग्य हो जायेगा। भर्ती के संबंध में अपडेट्स के लिये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की वेबसाइट www.secr.indianrailways.gov.in पर लॉग ऑन करें।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पर जारी किया गया है।

संलग्नक: अनुलग्नक 'ए', 'बी', 'सी', 'डी'

5/12/2018
सहायक कार्मिक अधिकारी / भर्ती
कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे/बिलासपुर

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित :

ए) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण, बिलासपुर।

बी) मण्डल रेल प्रबंधक, द.पू.म.रेलवे बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर।

सी) मुख्य कारखाना प्रबंधक/वेगन रिपेयर शॉप, रायपुर।

डी) उप मुख्य यांत्रिक अभियंता/(वर्कशाप)/मोतीबाग नागपुर, उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/जीएसडी रायपुर।

ई) मुख्य जनसूचना अधिकारी बिलासपुर, आपसे अनुरोध किया जाता है कि इस अधिसूचना का सांकेतिक सूचना रोजगार समाचार में प्रकाशित कराएं एवं इस कार्यालय को सूचित करें।

एफ) महासचिव, द.पू.म.रेलवे मजदूर कॉंग्रेस/ बिलासपुर, ऑल इण्डिया एस सी एस टी रेलवे

एम्प्लोयी एसोसिएशन/ बिलासपुर व ऑल इण्डिया ओ बी सी रेलवे एम्प्लोयी

एसोसिएशन/बिलासपुर।

5/12/2018
सहायक कार्मिक अधिकारी / भर्ती
कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे/बिलासपुर

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री....., पुत्र/पुत्री....., ग्राम/नगर....., जिला/मंडल....., राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र..... के निवासी हैं, जो किसमुदाय के हैं, इस समुदाय को भारत सरकार, न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय के दिनांक..... * के संकल्प सं.के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग माना गया है। श्री/श्रीमती/कुमारी..... और/या उसका परिवार सामान्य रूप से जिला/मंडल, संघ राज्य क्षेत्र में रहते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापन सं.36012/22/93-ईएसटीटी (एससीटी) , दिनांक 08.09.1993 ** की अनुसूची के कॉलम 3 में वर्णित वर्ग (क्रिमीलेयर)/व्यक्तियों में से नहीं है।

जिला दंडाधिकारी
उप आयुक्त इत्यादि

दिनांक :

*प्रमाणपत्र जारीकर्ता प्राधिकारी भारत सरकार के संकल्प का ब्योरा भी देगा जिसमें उम्मीदवार की जाति अपिब के रूप में दर्शाई गई हो।

**समयसमय पर यथा संशोधित।-

(टिप्पणी): यहाँ प्रयुक्त 'सामान्य रूप से' शब्द का अभिप्राय वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 ,की धारा में है। 20


रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर के रोजगार सूचना सं.
पी-एचक्यू/आरआरसी/761/2019-20 के अंतर्गत पदों के लिये आवेदन करते समय आवेदन के साथ
अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा जमा किये जाने वाले घोषणा पत्र का प्रारूप।

घोषणा-पत्र

“मैं पुत्र/पुत्री श्री
..... गांव/शहर/कस्बा जिला
राज्य का निवासी हूं, एतद्वारा यह घोषणा करता हूं कि मैं
(अपना उपजाति अंकित करें) समुदाय से हूं जिसे कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय मेमोरेण्डम नं.
36012/22/93-स्थापना (एससीटी) दिनांक 08.09.1993 में निहित आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण
के प्रयोजन के लिए भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है। मैं यह भी घोषणा करता
हूं कि मैं उपरोक्त संदर्भित ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08.09.1993 की अनुसूची के कॉलम 3 में तथा परवर्ती
ओ.एम. नं. 36033/3/2004- स्थापना (रेसि.) दिनांक 09.03.2004 में दर्शित (क्रीमी लेयर) व्यक्ति/सेक्शनों
के अंतर्गत नहीं आता।”

स्थान :
दिनांक :

उम्मीदवार का हस्ताक्षर
उम्मीदवार का नाम



5/10/2019


सक्षम अधिकारी के लेटर हेड पर जारी किए जाने वाले आय प्रमाण पत्र का प्रारूप
परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क में छूट के लिए आय प्रमाण पत्र

1. उम्मीदवार का नाम :
2. पिता का नाम :
3. आयु :
4. निवास का पता :
5. वार्षिक परिवारिक आय :
- (शब्दों में व अंकों में)
6. जारी करने की तिथि :

हस्ताक्षर :

(नाम) :

जारीकर्ता अधिकारी का स्टाम्प :



5/2/2019

अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों की स्व-घोषणा

(रोजगार सूचना सं.पी-एचक्यू/आरआरसी/761/2019-20 के अंतर्गत आवेदन-पत्र जमा कर रहे अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा शुल्क से छूट के लिए दावा हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले घोषणा-पत्र का प्रारूप)

घोषणा

मैं.....पुत्र/पुत्री, श्री:.....गली नं.....,
गाँव/शहर/नगर....., जिला.....,राज्य..... का निवासी हूँ। मैं
एतद द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि मैं समुदाय (केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित
अल्पसंख्यक समुदाय जैसे- मुस्लिम/सिख/इसाई/बौद्ध/पारसी) के अंतर्गत आता हूँ।

दिनांक :

उम्मीदवार का हस्ताक्षर

स्थान :

उम्मीदवार का नाम

नोट : दस्तावेजों के सत्यापन के समय परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अल्पसंख्यक समुदाय का घोषणा-पत्र इस आशय के शपथ पत्र के साथ जमा करना आवश्यक होगा कि वह केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित समुदाय (अर्थात मुस्लिम/ सिक्ख/ इसाई/ बौद्ध/ पारसी) के अंतर्गत आता है।

5/12/2019